न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 33 / 2016 जिला अलवर

1. नेता पुत्र मंगतु जाति जाटव, वारिस काबिज जायदाद मु. बसन्ती बेवा चन्दू नानी खुद मृतक, निवासी ग्रम दारोदा, तहसील कठूमर, जिला अलवर ।

अपीलान्ट

1. श्रीमती लच्छो पुत्र चन्दू स्त्री तेज सिंह , जाति जाटव, निवासी चिकसाना, तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर ।
2. ग्रम पंचायत दारोदा, पंचायत समिति व तहसील कठूमर, जिला अलवर द्वारा सरपंच ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर दिनांक 22.4.2003

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सचिन खत्री

निर्णय

दिनांक – 30.11.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.4.2003 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम दारोदा, तहसील कठूमर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा की खातेदार मु. बसन्ती बेवा चन्दू जाति जाटव थी जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 118 पटवारी हल्का द्वारा नेता पुत्र मंगतू राम हिस्सा 1/2 व लच्छो पुत्री चन्दो हिस्सा 1/2 के नाम भरा गया, जिसे ग्रम पंचायत दारोदा द्वारा दिनांक 11.11.1980 को यह अंकित करते हुये नेता पुत्र मु. बसन्ती के नाम तस्दीक किया गया कि मु. बसन्ती बेवा चन्दू का नवासा घर पर रहता है । उक्त नामांतरकरण संख्या 118 दिनांक 11.1980 के खिलाफ दिनांक 19.9.2002 को मु. लच्छो पुत्री चन्दू द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.4.2003 द्वारा स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 118 वाके ग्रम दारोदा दिनांक 11.11.80 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी खसरा नम्बर 25 तीन बीघा चोदह बिस्वा बाबत अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट दोनों के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश दिये गये । उप खण्ड अधिकारी कठमर के उक्त निर्णय दिनांक 22.4.2003 के खिलाफ मृतक खातेदार बसन्ती के नवासे नेता पुत्र मंगतू द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 11.11.80 बहाल रखने की प्रार्थना की ।

हस्ता./- अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदार मु. बसन्ती पत्नि चन्दू थी जिसके दो पुत्रियॅा भगवानी व लच्छो ही थी कोई पुत्र संतान नहीं थी इसलिये बस्न्ती ने अपनी पुत्री भगवानी के पुत्र नेता को अपने पास दत्तक पुत्र बना कर रख लिया था । नेता की माता यानी मु. बसन्ती की पुत्री

भगवानी अपीलान्ट नेता को दो तीन वर्ष की आयु में ही छोड कर फौत हो गई थी । अपीलान्ट का लालन पालन , शिक्षा दीक्षा भी बसन्ती ने ही कराई थी । अपीलान्ट ही बसन्ती का दत्तक पुत्र है ओर बसन्ती की सेवा सुश्रुषा भी अपीलान्ट ने ही की है तथा बसन्ती की भूमि पर काबिज है । ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को ही बसन्ती का जायज वारिस मानते हुये अपीलान्ट के नाम प्रश्नगत इन्तकाल तस्दीक किया था । प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान रेस्पोंडेन्ट को प्रारम्भ से ही था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील वर्ष 2002 में पेश की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षिय आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 6.7.2003 को होने पर नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की है तथा विलम्ब को क्षमा करने के लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में अपील 22 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना चाहिये था, लेकिन विलम्ब के संबंध में निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया । मियाद का बिन्दू भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दू है जिसको नजरन्दाज किया जाना त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट ग्रम दारोदा से 100 किलो मीटर दूर भरतपुर में निवास करती है जिसका विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा । विवादित भूमि पर अपीलान्ट का बसन्ती के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । उनका यह भी कहना था विवादित भूमि के बारे में अपीलान्ट एवं रमेश चन्द्र शर्मा के मध्य एक मुकदमा बाबत रहन चला था जिसमें बसन्ती देवी ने 400/– में रहन करना बताया था जिसमें गॉव के पंचों द्वारा राजीनामा अपीलान्ट एवं रमेश चन्द्र में करा कर अपीलान्ट से 40,000 रूपये रमेश चन्द्र को दिलाये थे और भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा बदस्तूर रखा था । यह राजीनामा सहायक कलक्टर कठूमर के न्यायालय में दिनांक 25.9.97 को पेश हुआ था । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर पुख्ता व खाम रिहायश काफी समय से बनाई हुई है तथा एक ट्यब वैल बनाकर उसमें एक बिजली का कनेक्शन लेकर एक मोटर भी लगा रखी है तथा भूमि पर अपीलान्ट के पशु भी बंधते हैं । रेस्पोंडेन्ट के लडके की शादी में भात भी अपीलान्ट द्वारा भरा गया था । उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखा जावे । आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1092, आर.आर.डी. 1984 पेज 45, आर.आर.डी. 1984 पेज 111, आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.आर.डी.1991 पेज 218 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया विवादित भूमि का खातेदार चन्दू था जिसके फौत होने पर चन्दू की पत्नी मु. बसन्ती बेवा चन्दू खातेदार हुई और बसन्ती के फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा बसन्ती की पुत्री भगवानी के पुत्र नेता व रेस्पोंडेन्ट लच्छो पुत्र बसन्ती के नाम भरा गया था जिसे ग्रम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेन्ट लच्छो पुत्री बसन्ती को छोड कर अकेले नेता पुत्र मंगतू के नाम स्वीकार कर दिया जो त्रुटिपूर्ण, विधिविरूद्ध एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोंडेन्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा गुप चुप में नामांतरकरण अकेले नेता पुत्र मंगतू के नाम तस्दीक कर दिया । रेस्पोंडेन्ट मृतक बसन्ती

की जायन्दा पुत्री है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अग्रिम श्रेणी की वारिस है जिसके अधिकार विलम्ब के आधार पर समाप्त नहीं हो सकते । रेस्पोंडेन्ट को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश करदी थी । उनका कहना था कि अपीलान्ट को कभी भी बसन्ती व चन्दू द्वारा गोद नहीं लिया न ही रेकार्ड पर कोई गोदनामा है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट की अपील के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकरण खारिज किया है तथा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट दोनों के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने हेतु तहसीलदार कठूमर को निर्देशित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार बसन्ती की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण का है । ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट मृतक बसन्ती की पुत्री भगवानी के पुत्र नेता पुत्र मंगतू राम के नाम स्वीकार किया है जबकि रेस्पोंडेन्ट लच्छो मृतक खातेदार बसन्ती की पुत्री होने से विवादित भूमि में अधिकार चाहती है । प्रकरण में मृतक बसन्ती बेवा चन्दू के दो पुत्रियॉ रेस्पोंडेन्ट लच्छो व अपीलान्ट की माता भगवानी होना अविवादित व प्रमाणित होने से मृतक बसन्ती की भूमि में रेस्पोंडेन्ट लच्छो का भी बहिस्सा बराबर दर्ज किया जाना उचित मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.4.2003 द्वारा रेस्पोंडेन्ट लच्छो की अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 118 ग्राम दारोद दिनांक 11.11.80 निरस्त किया गया तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा बाबत अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट दोनों के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कठूमर दिनांक 22.4.2003 उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर दिनांक 22.4.2003 यथावत रखे जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर